

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :-

राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.- 75/2020

1. लिख्मी पत्नी रामकुमार जाति मेघवाल निवासी पाथड़िया तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज०।
2. सुशील उर्फ रोताश पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी पाथड़िया तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज०।
3. आदित्य पुत्र सुरेश उम्र 16 वर्ष जाति मेघवाल निवासी पाथड़िया नाबालिक जरिये कुदरती माता अनिता पत्नी स्व० सुरेश जाति मेघवाल निवासी पाथड़िया तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज०।
4. मनस्वी पुत्री स्व० सुरेश उम्र 10 वर्ष जाति मेघवाल निवासी पाथड़िया नाबालिक जरिये कुदरती माता अनिता पत्नी स्व० सुरेश जाति मेघवाल निवासी पाथड़िया तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज०।
5. अनिता पत्नी स्व० सुरेश जाति मेघवाल निवासी पाथड़िया तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज०।

- वादीगण

बनाम

1. फुलाराम पुत्र नानगराम जाति मेघवाल निवासी पाथड़िया तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज०।
2. मूलचन्द पुत्र नानगराम जाति मेघवाल निवासी पाथड़िया तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज०।
3. भागीरथ पुत्र नानगराम जाति मेघवाल निवासी पाथड़िया तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज०।
4. गोविन्द पुत्र देवकरण जाति मेघवाल निवासी पाथड़िया तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज०।
5. प्रवीण पुत्र देवकरण जाति मेघवाल निवासी पाथड़िया तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज०।
6. विनोद पुत्र देवकरण जाति मेघवाल निवासी पाथड़िया तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज०।
7. नवीन पुत्र देवकरण जाति मेघवाल निवासी पाथड़िया तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज०।
8. ओमप्रकाश पुत्र प्रसादाराम जाति मेघवाल निवासी पाथड़िया तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज०।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ



9. दरियासिंह पुत्र प्रसादाराम जाति मेघवाल निवासी पाथड़िया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राज0।
10. पतासी पत्नी प्रसादाराम जाति मेघवाल निवासी पाथड़िया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राज0।
11. बदाभी पुत्री प्रसादाराम जाति मेघवाल निवासी पाथड़िया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राज0।
12. जानकी पत्नी स्व0 मालाराम जाति मेघवाल निवासी पाथड़िया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राज0।
13. मेवाराम पुत्र स्व0 मालाराम जाति मेघवाल निवासी पाथड़िया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राज0।
14. शिवराम पुत्र स्व0 मालाराम जाति मेघवाल निवासी पाथड़िया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राज0।
15. संतोष कुमार पुत्र स्व0 मालाराम जाति मेघवाल निवासी पाथड़िया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राज0।
16. एस0 बी0 बी0 जे0 बैंक शाखा पिलानी।
17. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा डुलानिया।
18. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक - 06.09.2022

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि-

(क) यह कि कृषि भूमि खसरा न0 165 रकबा 1.90 है0, खसरा न0 200 रकबा 3.27 है0, खसरा न0 220 रकबा 1.42 है0, खसरा न0 221 रकबा 2.54 है0, खसरा न0 222 रकबा 0.01 है0, खसरा न0 223 रकबा 2.31 है0, खसरा न0 226 रकबा 2.56 है0, खसरा न0 274/164 रकबा 0.13 है0, खसरा न0 277/201 रकबा 0.15 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 14.29 है0 स्थित ग्राम पाथड़िया के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रोताश पुत्र रामकुमार को सुशील पुत्र रामकुमार दर्ज करने की घोषणा किया जाना फरमाया जावे तथा उपर वर्णित भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादीगण 01 लगायत 15 के मध्य बाहमी विभाजन के अनुसार वादीगण को भूमि ख0न0 200, 221 में से वादीगण का सम्पूर्ण हिस्सा 1/15 का खातेदार घोषित करते हुए बाई मिट्स एवं बाई बारण्डस विभाजन किया जाकर वादीगण का खाता अलग दर्ज किया जाना फरमाया जावे तथा वादीगण

सूरजगढ़ अफिसरी, सूरजगढ़

- के हिस्से में आई भूमि पर वादीगण का अलग से कब्जा करवाया जाकर वादीगण का लगान भी अलग अलग कायम किया जाना फरमाया जावे।
- (ख) यह कि प्रतिवादीगण को रथाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना फरमाया जावे कि वे वादीगण के हिस्से में आई भूमि में कोई बाधा कारित नहीं करें।
- (ग) यह कि अन्य सिद्धि जो बहक वादीगण को भूल या गलती से चाहे जाने से रह गई हो वह भी वादीगण को धारा 209 रा० का० अधिनियम का फायदा देकर दिलवाया जाना फरमाया जावे।
- (घ) यह कि हर्जा खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादीगण को बार-बार आवाज लगवाने के बावजूद भी हाजिर नहीं आने के कारण उनके खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी गई। वादी वकील द्वारा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं० 2074-77, नक्शा ट्रेस, विभाजन प्रस्ताव।  
बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेशः—

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत खसरा न० 165 रकबा 1.90 है०, खसरा न० 200 रकबा 3.27 है०, खसरा न० 220 रकबा 1.42 है०, खसरा न० 221 रकबा 2.54 है०, खसरा न० 222 रकबा 0.01 है०, खसरा न० 223 रकबा 2.31 है०, खसरा न० 226 रकबा 2.56 है०, खसरा न० 274/164 रकबा 0.13 है०, खसरा न० 277/201 रकबा 0.15 है० कुल कित्ता 9 कुल रकबा 14.29 है० स्थित ग्राम पाथड़िया में विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं।

(राजेन्द्र कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

पदेन सहायक कलेक्टर

सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 06.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

पदेन सहायक कलेक्टर

सूरजगढ़

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं  
पीठारसीन अधिकारी :- राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.- 75/2020

निर्णय दिनांक :- 06-09-2022

लिखमी वगै० बनाम फुलाराम वगै०

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री रामेश्वरदयाल एड० व प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी जाने के कारण उनकी अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06.09.2022 को राजेन्द्र कुमार, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत खसरा न० 165 रकबा 1.90 है०, खसरा न० 200 रकबा 3.27 है०, खसरा न० 220 रकबा 1.42 है०, खसरा न० 221 रकबा 2.54 है०, खसरा न० 222 रकबा 0.01 है०, खसरा न० 223 रकबा 2.31 है०, खसरा न० 226 रकबा 2.56 है०, खसरा न० 274/164 रकबा 0.13 है०, खसरा न० 277/201 रकबा 0.15 है० कुल किता 9 कुल रकबा 14.29 है० स्थित ग्राम पाथड़िया में विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 06.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेन्द्र कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
पदेन सहायक कलेक्टर सूरजगढ